


फर्द अहकाम

लय उपखण्ड अधिकारी चाण्ड
 रियासत ~~रियासत~~ स्वतंत्र बनाम गंगासिंह
 ना संख्या / वर्ष : 09 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p> तह. चाण्ड द्वारा दिनांक 30/6/23 को करवाया है एवं अज्ञाती ने तहसीलदार तह. चाण्ड को अपनी मूक्ति के लीमाज्ञान हेतु दिनांक 6/6/24 को आवेदन किया हुआ है। </p> <p> तह. तहसीलदार चाण्ड उपयुक्त आवेदन के अनुसार 15 दिवस में सू-राजत्व अधिनियम 1956 धारा -111 के प्रावधानों के अनुरूप लीमाज्ञान करे। </p> <p> लीमाज्ञान कादेश दिनांक 30/6/23 व लीमाज्ञान आवेदन दिनांक 6/6/24 के अनुसार के अमानत ज़ाती व अज्ञाती की मूक्ति के मद्देन में जो लीमा तय की जावे उस पर उक्तपक्ष तहसीलदार को मोर्चे की घोषणा बनाव रखने हेतु पाबंद रहेगी। </p> <p> इस आशय भी तहसीलदार तह. चाण्ड को जारी है फतावली के तहत शुमार होकर दर्ज नम्बर लेना है। </p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 चाण्ड (जायपुर)